

प्रभु,

शिव प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2005

विषय - इन्डस वैली पब्लिक स्कूल सेक्टर-62 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर व सी०वी०एस०ई० नई दिल्ली
में संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ
है कि उक्त संश्लेषित विद्यालय की सी०वी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
प्राप्त करने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है:- विषय

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/असंजाति के मेधावी
बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा
संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक
शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि
पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैसिक शिक्षा परिषद/कौंसिल
फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्फार्मेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो
उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रिय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त
अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम
वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे ।

PRINCIPAL
INDUS VALLEY PUBLIC SCHOOL
PLOT NO. 1, SECTOR-62
NOIDA-201301 (U.P.)

Indus Valley

Head Master

- (1) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बचायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्त सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निम्न विधे जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (3) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (4) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह फया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव ।

पुं०सं०-2931/15-7-2005 तबदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा, निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, नोएडा, गौतमबुधनगर ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प० लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, इन्डस वैली पब्लिक स्कूल सेक्टर-62 नोएडा, गौतमबुधनगर ।
- 6- गार्ड बुक ।

आइती सं,
(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव ।

PRINCIPAL
INDUS VALLEY PUBLIC SCHOOL, NOIDA
AFF. No. 2130746 SCHOOL No. 60336

Headmistress